



पत्रांक संख्या : ग.वि.वि./प्रशासन/2023/4228

दिनांक : 15 / 04 / 2023

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ईमेल एवं पत्र संख्या F.No. 67-3/2021 (CU) Dated 12 April, 2023 के अनुपालन में वित्त अनुभाग की सहमति पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01-01-2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 42% किए जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01-01-2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 42% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक/नियत वेतन कर्मियों जिनको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अनुमन्य है एवं वेतन आहरण विश्वविद्यालय मुख्य खाते से किया जा रहा है, दिनांक 01-01-2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 42% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. स्ववित्त पोषित विभागों के अन्तर्गत विभागीय मद से वेतन आहरित करने वाले नियमित कार्मिकों एवं ऐसे दैनिक/नियत वेतन कर्मियों जिनको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी से विभागीय मद में धन उपलब्धता विषयक संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 01-01-2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 42% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात निर्गत किया जा रहा है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त परिसर निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से कि सम्बन्धित आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव प्रति कुलपति/कुलसचिव।
6. वेतन प्रकोष्ठ।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव